राजस्थान सरकार

xzkeh.k fodkl ,oa iapk;rh jkt foHkkx

¼vuqHkkx&3]egkRek xka/kh ujsxk½

(Phone: 0141-2227170, 2227956 E-Mail: pdre_rdd@yahoo.com)

क्रमांकःएफ11(08)ग्रावि/नरेगा/पद सजृन/2010/पार्ट–2/00086 **जयपुर, दिनांकः–हस्ताक्षरित दिनांक**

आदेश

विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 25.06.2024 (राजकाज रैफ्रेंस नं. 8327321) द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन एवं प्रबन्धन हेतु राज्य स्तर पर गठित राजस्थान ग्रामीण रोजगार गांरटी परिषद तथा सभी जिला परिषदों/पंचायत समितियों/ग्राम पंचायतों में संविदा/प्रतिनियुक्ति के सृजित पदों के विरूद्ध कार्यरत पदों की समयावधि निरन्तर जारी रखते हुये दिनांक 28.02.2025 तक बढाये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत प्रतिनियुक्ति पर स्वीकृत 12129 पदों के विरूद्ध कार्यरत 10879 कार्मिकों एवं संविदा/सेवा ऐजेन्सी के स्वीकृत 21868 पदों के विरूद्ध कार्यरत 5359 संविदा कार्मिकों की समयावधि वर्ष 2025–2026 के लिए दिनांक 28.02.2026 तक बढाये जाने की सहमति निम्न शर्तों पर दी जाती है :–

1. कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 11.01.2022 द्वारा जारी Rajasthan Contractual Hiring to Civil Posts Rules, 2022 की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जावे।
2. महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत Rajasthan Contractual Hiring to Civil Posts Rules, 2022 के तहत संविदा नियुक्ति से शेष (पात्रता नहीं रखने वाले) कार्मिकों का अनुबन्ध कार्यों का मूल्यांकन करने के उपरान्त कार्य संतोषजनक पाये जाने एवं पूर्ण संतुष्टि होने पर ही दिनांक 28.02.2026 तक बढाये जाने की कार्यवाही की जावे।
3. महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत प्रशासनिक व्यय भारत सरकार द्वारा अनुमत 5.5 प्रतिशत की सीमा में रखा जाना सुनिश्चित किया जायेगा। राज्य सरकार द्वारा प्रशासनिक व्यय मद में अनुमत सीमा से अधिक व्यय होने पर राज्य मद से कोई राशि उपलब्ध नहीं कराई जायेगी।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय–5) विभाग की आईडी संख्या 332500732 दिनांक 06.05.2025 के द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

(पुष्पा सत्यानी)
आयुक्त, ईजीएस

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
4. निजी सहायक, आयुक्त, ईजीएस।
5. जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं जिला कलक्टर, समस्त राजस्थान।
6. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–5) विभाग, जयपुर।
7. अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम) ईजीएस, जयपुर।
8. कार्यालाध्यक्ष एवं अतिरिक्त आयुक्त (द्वितीय) ईजीएस, जयपुर।
9. परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव, ईजीएस, जयपुर।
10. उप शासन सचिव (प्रशासन), ग्रामीण विकास (अनुभाग–1) विभाग, जयपुर।
11. वित्तीय सलाहकार, ईजीएस, जयपुर।
12. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त राजस्थान।
13. कार्यक्रम अधिकारी कम विकास अधिकारी, पंचायत समिति, समस्त राजस्थान।
14. रक्षित पत्रावली।

Signature valid
Digitally signed by Pushpa Satyani
Designation : Commissioner
Date: 2025.05.08 1[illegible]:32:49 IST
Reason: Approved